

7वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

हेलसिंकी, फिनलैंड
13 - अक्टूबर - 2006

प्रधानमंत्री माति वाहनेन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैनुअल बारोसो, यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जेवियर सोलाना, कमिशनर पीटर मंडेलसन अन्य महानुभावगण, भाइयो और बहनो।

मैं 7वें भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री वाहनेन को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए यूरोपीय संघ के नेताओं का भी स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं।

यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी को सुदृढ़ बनाना और गंभीर वार्ता करना हमारी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता रही है।

पिछले वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संयुक्त कार्ययोजना को लागू करने का भी हम स्वागत करते हैं।

हमें इस बात से बहुत संतोष है कि उच्च स्तरीय व्यापार समूह की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ के साथ व्यापक आधार वाले व्यापार और पूंजी निवेश समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के बारे में फैसला ले। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वार्ता दो वर्ष के अंदर पूरी जा जानी चाहिए। हमें अपेक्षा है कि ऐसा जल्दी होगा।

भारत और यूरोपीय संघ नई बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अनिवार्य स्तंभ हैं। वैश्विक अंतर-निर्भरता के प्रबंधन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम दोनों के पास सार्थक सहयोग प्रदान करने के लिए इच्छाशक्ति और योग्यता है।

स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और प्रभावी संस्थाओं पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमारे हित में है। बढ़ती आर्थिक अंतर-निर्भरता के प्रबंधन के लिए हालांकि कुछ नियम हैं, लेकिन वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था प्रबंधन के लिए प्रगतिशील संस्थागत व्यवस्था अभी भी नहीं है।

हमें विश्वास है कि गरीबी, अत्यंत पिछड़ेपन और असमानता की वैश्विक समस्याओं से निपटने में समेकित वैश्वीकरण व्यवस्था से आर्थिक और सामाजिक विकास के लाभों को उचित रूप से सभी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

विश्व को धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर कृत्रिम रूप से बांटने की कोशिशों का हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे वैश्वीकरण की भावना ही नष्ट हो जाएगी।

लोकतंत्र के हमारे मूल्य, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और बहु-समुदायी व्यवस्था तथा स्वतंत्रता के प्रति हमारी निष्ठा हमें स्वाभाविक रूप से साझीदार बना देते हैं। हम दोनों बहु-संस्कृतियों वाले देश हैं जो हमारे ख्याल से वैश्वीकरण का अनिवार्य परिणाम है।

भारत में लोकतंत्र के साथ उच्च आर्थिक विकास तथा समेकित प्रशासन की जो सफल व्यवस्था है उससे भारत को जिब्राल्टर से मलक्का जलडमरू तक के क्षेत्र वाले यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने का विशेष दर्जा मिल जाता है। ऐसी मजबूत भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जो भारत और यूरोपीय संघ को मिलकर काम करने की स्थिति में लाती हैं।

यूरोपीय संघ के बिना वैश्वीकरण के बारे में भारत का दृष्टिकोण असंतुलित रहेगा, विशेष रूप से अब जबकि यूरोपीय संघ की एकीकृत विदेशी और रक्षा नीतियाँ हैं।

इसी प्रकार हम यह भी मानते हैं कि भारत के बिना यूरोपीय संघ का एशिया का साथ जुड़ाव अधूरा रहेगा। यह बात समझते हुए हाल में भारत को **असेम** में शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और सराहना करते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ को वैश्वीकरण, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए।

भारत में इस समय इस शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक अरब से ज्यादा लोग एक ऐसी खुली अर्थव्यवस्था और खुले समाज की व्यवस्था में उन्नति का रास्ता ढूँढ रहे हैं, जिसका मूलभूत मानवीय स्वतंत्रताओं और कानून के शासन में विश्वास है।

1990 के दशक के शुरू के वर्षों में प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप भारत सृजनशीलता और उद्यमशीलता की जबर्दस्त दौर से गुजर रहा है, जिससे उत्साह जनक आर्थिक स्थिति बनी है।

यूरोपीय संघ, जो व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, इन विशाल परिवर्तनों का लाभ उठाने की स्थिति में है।

भारत ने पिछले 16 वर्षों में 6-8 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर दर्ज की है। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमारी विकास दर 8.9 प्रतिशत थी।

हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में इस विकास दर को बढ़ाने और 10 प्रतिशत वार्षिक करने में यूरोपीय संघ हमारे प्रयासों में साझेदार बने।

हम चाहते हैं कि यूरोपीय संघ भारत को लाभदायक सुरक्षित निवेश वाला देश समझे। हम चाहते हैं कि आप भारत को उच्च प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, विनिर्माण और सेवाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में समझें। सिर्फ विशाल भारतीय बाजार को देखते हुए ही नहीं बल्कि आस-पास के क्षेत्रों- दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को देखते हुए, जिनके साथ भारत के निकट संबंध हैं।

हम चाहते हैं कि आप भारत में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के लिए उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण विशाल वैज्ञानिक प्रतिभा और योग्य प्रशिक्षित, युवा शक्ति का भरपूर फायदा उठाएं।

वीसा संबंधी कड़ी पाबंदियाँ इस क्षमता को कुंद कर सकती हैं। हमें लोगों के आजादी से आने-जाने को बढ़ावा देना चाहिए, जोकि वैश्वीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही गैर कानूनी आव्रजन को भी रोकना होगा और हमें इसे निरुत्साहित करना चाहिए।

हम समझते हैं कि यूरोपीय संघ जानना चाहेगा कि दूरसंचार और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को उदार बनाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, वित्तीय क्षेत्र को खुला बनाने और श्रम कानूनों में ढील देने के मामले में भारत क्या उपाय करेगा। इन सभी मुद्दों पर हमारी सरकार गौर कर रही है। हम चाहेंगे कि यूरोपीय संघ हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध अवसरों पर गौर करे। सुरक्षित, उचित मूल्य की और बेरोक टोक ऊर्जा आपूर्ति के जरिए सुरक्षित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारी सांझी चिंता का विषय है। पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भर रहने की बजाय हमें परमाणु ऊर्जा जैसे प्रदूषण न फैलाने वाले अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा।

हमें आशा है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ इसके अनुकूल प्रस्तावों को समर्थन देने के स्थिति में होगा। इससे भारत जैसे देशों को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का साधन मिल जाएगा।

परमाणु सामग्री आपूर्ति समूह के साथ कल वियना में हुई बैठक से भारत को एक अवसर मिला है कि वह परमाणु अप्रसार के उद्देश्यों के प्रति अपने दृढसंकल्प को दोहरा सके और साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग बढ़ाने के वास्ते समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर काम कर सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत का यह दृढ विश्वास है कि परमाणु अप्रसार को होने वाला और नुकसान भारत के हित में नहीं है।

यूरोपीय संघ ने समन्वित ताप ऊर्जा रिएक्टर- आईटीईआर प्रोजेक्ट में पूरी भागीदारी वाले देश के रूप में भारत का जो समर्थन किया है, उसके लिए हम उसके आभारी हैं।

मुझे उम्मीद है कि यूरोपीय संघ गैलिलियो ग्लोबल सेटेलाइट प्रोजेक्ट में भारत की सदस्यता की पुष्टि करने वाले समझौते को जल्दी संपन्न करेगा।

हाल ही में मुम्बई में हुए विस्फोट और इससे पहले लंदन, मैड्रिड और श्रीनगर में हुए विस्फोट, हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद आज भी लोकतांत्रिक, खुले और बहु-समुदायी देशों के लिए सबसे गंभीर खतरा है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मजबूत होना, सभी स्वतंत्र और लोकतंत्रीय समाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आतंकवाद के प्रति बिल्कुल कोई सहिष्णुता न दिखाने के अंतर्राष्ट्रीय फैसले से उन देशों को सही संकेत मिलेगा, जो सीधे तौर पर आतंकवाद से जुड़े हैं या जो आतंकवादी उद्देश्यों के लिए अपने प्रदेशों का इस्तेमाल करने देते हैं।